


कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर

अतिअल्पकालीन ई-निविदा सूचना


पत्रांक:- 969 /न0पा0परि0मो0/2019

दिनांक 28 फरवरी, 2019

नगर पालिका परिषद मोदीनगर के जलकल विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु आउटसोर्सिंग पर निम्नानुसार नलकूप चालक, प्लम्बर/मिस्त्री, बेलदार आदि की आपूर्ति हेतु एक वर्ष (स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए) के लिए पालिका के पंजीकृत अनुभवी रजिस्टर्ड फर्मों से निर्धारित पारिश्रमिक की दर पर ई-निविदा दिनांक 22.03.2019 को सांय 05-00 बजे तक ई-प्रोक्वोरमेन्ट की वेबसाइट <http://:etender.up.nic.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें तथा विस्तृत विवरण ई-प्रोक्वोरमेन्ट की वेबसाइट <http://:etender.up.nic.in> पर तथा नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाइट www.nppmodinagar.com पर भी देखा जा सकता है। निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन मात्र पालिका की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।


(अनुज कौशिक)


अधिशासी अधिकारी



(अशोक माहेश्वरी)

अध्यक्ष

- 1-जिलाधिकारी, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-संपादक दैनिक समाचार पत्र वीर अर्जुन, दिल्ली एवं चमकता युग, मोदीनगरको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निविदा सूचना को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान में प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 05 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-श्री अंकित गoyal, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की वेबसाइट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4-नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


(अनुज कौशिक) 28-02-19
अधिशासी अधिकारी


28/02/19

कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर

पत्रांक:- १६९ /न०पा०परि०मो०/२०१९

दिनांक: २४ फरवरी, 2019

अतिअल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद मोदीनगर के जलकल विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु आउटसोर्सिंग पर निम्नानुसार नलकूप चालक, प्लम्बर/मिस्त्री, बेलदार आदि की आपूर्ति हेतु एक वर्ष (स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए) के लिए पालिका के पंजीकृत अनुभवी रजिस्टर्ड फर्मों से निर्धारित पारिश्रमिक की दर पर ई-निविदा दिनांक 22.03.2019 को सांय 05-00 बजे तक ई-प्रोक्वोरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ धरोहर धनराशि रु 1,00,000/- (एक लाख) मात्र एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य पृथक-पृथक रूप से नगर पालिका परिषद मोदीनगर के भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 38191910510, IFSC SBIN0002348 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त ट्रांजैक्शन की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी। निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने पर निविदा तिथि अगले कार्यदिवस को मानी जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद में निहित होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें तथा विस्तृत विवरण ई-प्रोक्वोरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर तथा नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट www.nppmodinagar.com पर भी देखा जा सकता है।

निविदा डाउनलोड करने की तिथि:-

निविदा प्रकाशन की दिनांक से।

निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि:-

22.03.2019 सांय 05.00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि:-

23.03.2019 अपराह्न 11.30 बजे।


क्र० सं०	कार्य का विवरण	कर्मचारियों की अनुमानित संख्या	धरोहर धनराशि	दर प्रतिदिन	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अवधि
2	नलकूप चालक बेलदार ड्राईवर प्लम्बर/मिस्त्री इलैक्ट्रिशियन	35 कर्मी 05 कर्मी 01 कर्मी 02 मिस्त्री 01 कर्मी	1,00,000-00	315/- प्रतिदिन 290/- प्रतिदिन 259/- प्रतिदिन 425/- प्रतिदिन 425/- प्रतिदिन	1000+5%GST = 1050	एक वर्ष (स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए)


शर्तें:-

- यह टेका एक वर्ष (स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए) तक के लिए मान्य होगा।
- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि नगर पालिका परिषद मोदीनगर के भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 38191910510, IFSC SBIN0002348 में जमा करना अनिवार्य है, बिना धरोहर राशि के निविदा अवैध मानी जायेगी व शर्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
- सेवाप्रदाता/फर्म को हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आयकर/व्यापारकर/जी०एस०टी०, पैन नम्बर, टिन नम्बर एवं ई०पी०एफ०/ई०एस०आई० आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करने अनिवार्य होंगे।
- संस्था यदि प्रोपराईटर फर्म है तो संस्था का पैनकार्ड तथा समस्त पार्टनरों के पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रोपराईटर संस्था की दशा में प्रोपराईटर एवं संस्था दोनों के पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
- कर्मचारी को दिये जाने वाले मानदेय व अन्य भुगतान, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, जी०एस०टी० आदि का स्पष्ट विवरण निविदा में पृथक-पृथक दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रमाण पत्र को मांगे जाने पर मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा कर्मियों को भुगतान नकद न करके, बैंक के माध्यम NEFT से करना व ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० आदि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रतिमाह प्रमाण पत्र पालिका कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में बिना कारण बताये टेका निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद मोदीनगर में निहित होगा।
- कर्मियों के ई०पी०एफ०, ई०एस०आई०, बीमे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता की सभी जिम्मेदारी औद्योगिक नियमों के अनुकूल सेवाप्रदाता/फर्म की होगी।
- सेवाप्रदाता/फर्म को गत तीन वर्षों की अपनी ऑडिटिड बैलेंसशीट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मचारी किसी भी स्थिति में नगर पालिका परिषद मोदीनगर के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे।
- सेवाप्रदाता/फर्म एवं उसके अधीन कर्मचारी के आपसी विवाद से नगर पालिका परिषद मोदीनगर का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
- कार्य पर लगे प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी सेवाप्रदाता/फर्म की होगी। टेकेदार के किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी टेकेदार की होगी। पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना आदि की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता/फर्म का होगा।
- सेवाप्रदाता/फर्म को निर्धारित धनराशि के जनरल स्टॉम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध-पत्र पर अनुबन्ध करना होगा जो स्टॉम्प उसे अपने खर्च पर खरीदना होगा। स्टाम्प शुल्क की धनराशि में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे पूरा करने की समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता/फर्म की होगी।
- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी लेबर को सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य कराना होगा। निर्देशों की अवहेलना/

Vishwas

- कार्य में लापरवाही पाये जाने पर कटौती/निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 16-सेवाप्रदाता/फर्म को प्रतिमाह कार्य तिथियों में कार्य कराने का सत्यापन सम्बन्धित विभाग प्रभारी से कराना होगा।
 - 17-सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी लेबर द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण/सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा व तदानुसार ही किये गये कार्य/उपस्थित कर्मचारियों के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा। यदि सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की जा रही लेबर में से कोई कर्मी अनुपस्थित पाया जाता है तो सेवाप्रदाता/फर्म की स्वीकृत ठेका धनराशि में से नियमानुसार अनुपस्थित अवाधि की आनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी।
 - 18- सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा शरायतनामों की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो पालिका को बिना किसी सूचना के ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही बिना कारण बताये ठेका निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद मोदीनगर में निहित होगा।
 - 19-जी0एस0टी0/अन्य कर आदि का भुगतान प्रस्ताव में पृथक से दर्शाने पर दरो पर अलग से लागू होने की दशा में किया जा सकेगा। यदि अलग से नहीं दर्शाया गया तो जी0एस0टी0/अन्य कर दरो में शामिल माना जायेगा। भुगतान किये गये जी0एस0टी0/अन्य कर आदि को सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र नियमित रूप से पालिका में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के देयकों-करों इत्यादि का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता/फर्म का होगा।
 - 20- विभाग कार्यहित में न्यूनतम दरदाता की दरों पर अन्य फर्म से भी कार्य कराने को स्वतन्त्र होगा।
 - 21-सेवाप्रदाता/फर्म विभाग को यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेगा कि वह भविष्य में सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का वाद नगर पालिका परिषद मोदीनगर के विरुद्ध दायर नहीं करेगा।
 - 22-ठेका कर्मियों को नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
 - 23- पालिका को यह अधिकार होगा कि वह इन शरायतों में कभी भी आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि कर सकती है जिसका अनिवार्य रूप से सेवाप्रदाता/फर्म को पालन करना होगा।
 - 23- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों तथा नगर पालिका के आदेशों का अनुपालन भी सेवाप्रदाता/फर्म द्वारा किया जायेगा।
 - 24- यदि पालिका व सेवाप्रदाता/फर्म के बीच में कोई विवाद इस ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मोदीनगर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त वादों का क्षेत्राधिकार जनपद गाजियाबाद होगा।
 - 25- आवश्यकतानुसार कर्मियों की संख्या घटाई/बढ़ायी जा सकती है।
 - 26- ठेके की समयअवधि घटाने/बढ़ाने का अधिकार पालिका बोर्ड को होगा।


(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी


(अशोक माहेश्वरी)
अध्यक्ष